न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज०)

पीठासीन अधिकारी :-रिछपाल सिह बुरडक आर०ए०एस०
अपील संख्या :- **77/2016**
अपीलान्ट :-

1. रामसुख पुत्र मांगीलाल जाति जाट, निवासी झरडिया तहसील लाडनूं जिला नागौर।

रेस्पोडेन्ट :-

1. पटवारी हल्का भरनावा तहसील लाडनूं जिला नागौर।
2. उप तहसीलदार निम्बी जोधा तहसील लाडनूं जिला नागौर।

उपस्थित अधिवक्ता :-

श्री जमन लाल जांगिड. अधिवक्ता, अपीलान्ट की और से।

अपील विरूद्ध निर्णय राजस्व प्रकरण संख्या 04/2016 दिनांक 23.09.2016 बअनवान सरकार जरिये पटवारी हल्का भरनावा बनाम रामसुख द्वारा न्यायालय उप तहसीलदार निम्बी जोधा अन्तर्गत धारा 91 राज० भू-राजस्व अधिनियम 1956

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज० भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :- **13.08.2021**

{1} यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप तहसीलदार निम्बी जोधा के प्रकरण संख्या 04/2016 बअनवान सरकार जरिये पटवारी हल्का भरनावा बनाम रामसुख में पारित निर्णय दिनांक 23.09.2016 के विरूद्ध पेश की है।

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का भरनावा ने अपीलान्ट/अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय उप तहसीलदार निम्बी जोधा को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/अप्रार्थी ने ग्राम झरडिया के खसरा नंबर 149 रकबा 05 बिस्वा किस्म भूमि गैर मुमकिन रास्ता पर बाड बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रखा है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट/अप्रार्थी को राज० भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा ग्राम ग्राम झरडिया के खसरा नंबर 149 रकबा 05 बिस्वा किस्म भूमि गैर मुमकिन रास्ता पर बाड बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने से अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लंघन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अत: अपीलान्ट/अप्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर ग्राम झरडिया के खसरा नंबर 149 रकबा 05 बिस्वा किस्म भूमि गैर मुमकिन रास्ता से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया एवं वार्षिक लगान दर से जुर्माना रूपये 07/– अक्षरे सात रूपये कायम किया गया ।

{3} अपीलान्ट ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की है कि :-

{3} 1. यह है कि खसरा संख्या 71 अपीलार्थी का पुश्तैनी खातेदारी का हैं, जिसका 1/2 भाग अपीलार्थी के भाई धनाराम के पास है जो 1/2 व 1/2 भाग में दोनों भाईयों के बटवारां से प्राप्त होने से अपीलार्थी के खसरा नंबर 71 विभाजन में प्राप्त हुआ है व खसरा सं 71/1 भाई धन्नाराम के हिस्सें में आया है, जो मूल खसरा 71 का ही भाग है।

{3} 2. यह है कि उक्त खसरा 71 के पश्चिम व उत्तर में ग्रेवल सडक बनाई हुई हैं जिसके दोनों और छुट (कच्ची जगह) छोडी हुई है जो सडके के दोनों और बराबर भाग में छोडी हुई है तथा ग्रेवल सडक व छुट दोनों ही वर्तमान में मौजुदर है।उक्त दोनों ही तत्कालीन स्थिति में स्वतंत्र है एवम् अपीलार्थी की तरफ से अतिक्रमण मुक्त है। उक्त ग्रेवल सडक के निर्माण के बाद अपीलार्थी के खसरान की भूमि को रास्ते के बाबत अधिगृहित किये जाने का नोटिस व जानकारी नहीं दी गई है और ना ही रास्ते को चौडा करने हेतु कोई अधिग्रहण संबधित खसरान की भूमि में से किया गया है और ग्रेवल सडक निर्माण के समय भी सडक की व कच्ची जगह थी, जो सडक के दोनों और बराबर-बराबर भाग में थी, जो अतिक्रमण से मुक्त है जो लगभग 25 फुट है तथा इसी ग्रेवल सडक के निर्माण से आज तक उक्त स्थिति में है।

{3} 3. यह है कि हल्का पटवारी भरनावा ने केवल मात्र अपीलार्थी के पुश्तैनी खेत खसरा नंबर 71 को माप कर गै०मु० रास्ता खसरा संख्या 149 पर मेरा अतिक्रमण होना बताया है जो विधि सम्मत नहीं है। पटवारी हल्का एव भू-अभिलेख निरीक्षक, भरनावा ने मौका रिपार्ट बनाते वक्त दक्षिण दिशा से केवल मात्र अपीलार्थी के खसरा का ही माप किया है ,

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

किसी भी सीमा ज्ञान हेतु बनाये हुए रिकॉडेड चिन्ह (स्थान) से जरीब डालकर सीमा ज्ञान नही किया है। जबकि मौका रिपोर्ट बनाते हुए या माप के समय विवादित स्थल के दोनों और से सीमा चिन्हों से सीमा का ज्ञान किया जाना चाहिए।अपीलार्थी की भूमि के दो तरफ से एल (L) आकार में रास्ता निकलता है जो खसरा संख्या 149 गै०मु०रास्ता ही है, इसलिए अपीलार्थी की भूमि के चार तरफ से माप किया जाना चाहिए था , क्योंकि उप तहसीलदार साहब ने गैर मुमकिन रास्ता खसरा नंबर 149 पर केवल मात्र 0.05 बीघा भूमि पर अतिक्रमण अपीलार्थी का होना बताया है। जिसका तात्पर्य है कि अपीलार्थी के पास उसकी खातेदारी भूमि 03 बीघा से 0.05 बीघा भूमि ज्यादा है जो कुल भूमि 3.05 बीघा होने से 0.05 बीघा का अतिक्रमण जाहिर होता है। अपीलार्थी के खसरा नंबर 71 के सामने पृथ्वीसिंह का मकान है जिसमें सडक पर अतिक्रमण कर एक कमरा बनाया हुआ है जो सडक की भूमि पर 10 फुट बाहर है। उक्त कमरे के स्थान को छोड कर अन्य सभी जगह पर खसरा संख्या 71 के सामने 25 फुट चौडा रास्ता है जो वर्तमान में चल रहा है। खसरा संख्या 149 गैर मुमकिन रास्ता पर अतिक्रमण आवासीय मकानात अर्थात उत्तर की और से किया गया है, न की दक्षिण की और से राजस्व भूमि खातेदारान के द्वारा उक्त भूमि गैर मुमकिन रास्ता पर अतिक्रमण किया गया। हल्का पटवारी एवं पत्रावली व इसके निर्णय में कहीं पर भी यह नहीं आया है कि रास्ता की चौडाई खसरा संख्या 71 के सामने या बराबर में कितनी है और अपीलार्थी के दोनों और विवादित रास्ता है इसलिए पश्चिम साईड में कितना अतिक्रमण है उत्तर साईड में कितना अतिक्रमण है उक्त रास्तें की चौडाई व अतिक्रमण के खुलासे के अभाव में ही निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत नही है। उक्त निर्णय अपीलार्थी के अतिक्रमण के स्थान की निश्चितता को साबित/चिन्हित करने मे पूर्णतः विफल रहा है। न तो अतिक्रमी को उक्त निर्णय से ज्ञान होता है कि अपीलार्थी का उक्त स्थान पर 0.05 बीघा का अतिक्रमण बताया है और न ही पालना करने वाले अधिकारी को उक्त 0.05 बीघा के अतिक्रमण का स्थान का ज्ञान होता है इसलिए उक्त निर्णय अपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

{3} 4. यह है कि खसरा नंबर 149 की चौडाई विवादित जगह पर 25 फुट है जो वर्तमान में चलित स्थिति में सही है। खसरा संख्या 149 गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी करने एवम किये गये अतिक्रमण को हटाने हेतु उक्त खसरा के दोनों और से सीमा चिन्हों से सीमा ज्ञान किया जाना चाहिए था जो पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर नहीं किया हैं केवल मात्र रेवेन्यु भूमि खसरा नंबर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

71 एवं उसके सामने गैर मुमकिन रास्ता भूमि खसरा नंबर 149 की वर्तमान में मौका स्थिति को ही दर्शाया गया है। अपीलार्थी का खसरा पुश्तैनी है और उक्त खसरे की सीमा पर डोल लगाकर बाड चिरकाल से इस जगह पर की हुई है, यदि अपीलार्थी का अतिक्रमण उक्त रास्तें पर होता तो प्रार्थी के विरूद्ध पहले भी अतिक्रमण की कार्यवाही की गई होती , लेकिन यह अपीलार्थी पर प्रथम अतिक्रमण कार्यवाही है जो राजनैतिक दबाव व द्वैष में की गई है इसलिए निर्णय निरस्तनीय है।

{3} 5. यह है कि अपीलार्थी के पूर्वी पडौसी डूंगरराम पर भी धारा 91 राज० लैण्ड रेवेन्यु एक्ट की कार्यवाही की गई है उक्त पडौसी डूंगरराम ने एक वाद सख्यां 49/16 व प्रार्थना पत्र संख्या 42/16 उक्त विवादित भूमि बाबत श्रीमान सिविल न्यायाधीश , लाडनूं के समक्ष पेश कर रखा है। जिसमें तहसीलदार से रास्ते की चौडाई बाबत मांगी गई मौका रिपोर्ट दिनांक 22.08.2016 व दस्तावेजात में हल्का पटवारी भरनावा ने उक्त रास्ता की चौडाई 25 फुट होना व वर्तमान में चलित रास्तें की स्थिति में चौडाई 25 फुट होना बताया है व मौके पर रास्ता आवागमन योग्य होना दर्शित किया गया है जिससे जाहिर होता है कि उक्त रास्तें पर अतिक्रमण नही है। उक्त डूंगरराम के द्वारा भी इस न्यायालय में अपील पेश कर रखी है जिसमें इस न्यायालय द्वारा यथा स्थिति के आदेश दिये गये है।

{3} 6. यह है कि अपीलार्थी ने उक्त विधि विरूद्ध विवादित निर्णय के आधार पर गैर मुमकिन खसरा नंबर 149 में अतिक्रमी मानकर उसके खेत खसरा संख्या 72 की डोल लगाकर की गई बाड को हटाने पर उतारू है यदि इस प्रकार की बेदखल किये जाने की कार्यवाही मे प्रत्यर्थीगण सफल हो जाते है तो अपीलार्थी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति नकदी से संभव नही है।

{3} 7. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय पर आने के आधार आदेशिका व निर्णय में नही लिखे है व न ही उक्त आदेश में निर्णय की स्पष्टता दिखाई देती है, इसलिए निर्णय आदेश निरंकुश है व काबिले निस्तरनीय है।

{4} – उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 23.11.2016 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनांक 23.11.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय के पत्र क्रमांक/राजस्व/17/203 दिनांक 25.05.2017 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

न्यायालय में प्राप्त हुई। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में नकल आदेशिका अधीनस्थ न्यायालय, जमाबंदी सम्वत् 2072–75 मौजा झरडिया,नक्शा ट्रेस खसरा नंबर 71,149 सम्वत 2072–75 की प्रतिलिपि पेश की है। प्रार्थी हरजीराम पुत्र छौगाराम निवासी झरडिया तहसील लाडनूं द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी०पी०सी० का पेश किया जिसे आवश्यक पक्षकार न होने से दिनांक 10.05.2017 को खारिज किया गया।

{5} – प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व इसके मियाद में होने के संबंध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा अपील निर्धारित समयावधि से विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबधं में परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है प्रस्तुत अपील में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.09.2016 को निर्णय पारित किया गया है तथा अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 23.11.2016 को पेश की गयी है। अपीलार्थी को उक्त निर्णय की जानकारी 16.11.2016 को आदेशिक व निर्णय की प्रमाणित नकले प्राप्त करने से हुई है। इस कारण अज्ञानवतावश अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत करने में देरी होने से प्रकरण में सहानूभूतिपूर्वक विचार किया जाकर प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

{6} – बहस अधिवक्ता अपीलांट सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी अपील में अंकित तथ्यों एव आधारों को दोहराते हुए निवेदन किया कि खसरा संख्या 71 अपीलार्थी का पुश्तैनी खातेदारी का खसरा है जिसके दो तरफ से एल आकार में से निकलने वाला रास्ता खसरा संख्या 149 गैर मुमकिन रास्ता है। पटवारी हल्का एव भू-अभिलेख निरीक्षक, भरनावा ने मौका रिपार्ट बनाते वक्त दक्षिण दिशा से केवल मात्र अपीलार्थी के खसरा का ही माप किया है , किसी भी सीमा ज्ञान हेतु बनाये हुए रिकॉडिड चिन्ह (स्थान) से जरीब डालकर सीमा ज्ञान नही किया है। हल्का पटवारी एवं पत्रावली व इसके निर्णय में कहीं पर भी यह नहीं आया है कि रास्ता की चौडाई खसरा संख्या 71 के सामने या बराबर में कितनी है और अपीलार्थी के दोनों और विवादित रास्ता है इसलिए पश्चिम साईड में कितना अतिक्रमण है उत्तर साईड में कितना अतिक्रमण है उक्त रास्तें की चौडाई व अतिक्रमण के खुलासे के अभाव में ही निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत नही है। खसरा संख्या 149 गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी करने एवम किये गये अतिक्रमण को हटाने हेतु उक्त खसरा के दोनों और से सीमा चिन्हों से सीमा ज्ञान किया जाना

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

चाहिए था । अपीलार्थी पर अतिक्रमण की कार्यवाही राजनैतिक दबाव व द्वैष से ग्रस्त है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय आधारहीन एवं अस्पष्ट होने से निर्णय काबिले निरस्त होने से निरस्त फरमावे।

{7} – बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी हल्का भरनावा की रिपोर्ट जिसके अनुसार अपीलान्ट/अप्रार्थी ने ग्राम झरडिया के खसरा नंबर 149 रकबा 05 बिस्वा किस्म भूमि गैर मुमकिन रास्ता पर बाड बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रखा है।

दिनांक 19.06.2017 को वकील अपीलांट द्वारा वास्ते मौका रिपोर्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर नायब तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई , नायब तहसीलदार के पत्रांक/18/13 दिनांक 22.02.2018 के जरिये प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 15.02.2018 का हमने अवलोकन किया जिसके बिन्दु संख्या 3 " यह है कि खसरा नंबर 149 का सीमाज्ञान ग्राम झरडिया के राजस्व रेकार्ड के पूर्वी सीमा के ग्राम के अंतिम और से सीमांकन करते हुए किया है तथा सामने घनी आबादी क्षेत्र होने के कारण सीमांकन नहीं किया जा सका। " इसी प्रकार बिन्दु संख्या 5 " यह है कि ग्राम झरडिया के पूर्वी सीमा से एक दिशा से सीमांकन किया गया तथा सामने की तरफ से घनी आबादी क्षेत्र होने के कारण सीमांकन नही किया जा सका। " उक्त मौका रिपोर्ट के बिन्दुओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम झरडिया के खसरा नंबर 149 गैर मुमकिन रास्ता का सीमांकन अपूर्ण, अपर्याप्त एवं अस्पष्ट किया हुआ है जिससे अपीलार्थी के अतिक्रमण के स्थान की निश्चितता को स्पष्ट नही किया जा सकता है।

वकील अपीलांट के निवेदन पर पटवारी हल्का भरनावा द्वारा दिनांक 22.03.2021 को तैयार फर्द मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसमें भी खसरा नंबर 149 गैर मुमकिन रास्तें का सीमाज्ञान एव वस्तुस्थिति रबी की फसल खडी होने के कारण फिलहाल न कर पाने की असमर्थतता जाहिर की है। तथा खसरा नंबर 149 गैर मुमकिन रास्ता देखने पर खुली स्थिति में पाया गया हैं ।

इस प्रकार खसरा नंबर 149 गैर मुमकिन रास्ता के सीमांकन एव वास्तविक वस्तु स्थिति के अभाव में अपीलांट के अतिक्रमण के स्थान की निश्चितता तय नही कर पाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

-:आदेश:-

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि खसरा नंबर 149 का पूर्ण सीमांकन कर एव अतिक्रमण की सुस्पष्ट स्थिति की जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 13.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुहर से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)